स्वामित्व योजना के कार्य पूरे कराने पहुँचे अधिकारी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मई। स्वामित्व योजना के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर वरिष्ठ

कलेक्टर के निर्देश पर मैदानी समीक्षा तेज, शेष कार्य समय सीमा में पूर्ण करने पर जोर

प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे। अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व अपर जिला दण्डाधिकारी सी बी प्रसाद सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न गांवों का भ्रमण कर योजना की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही मौके पर आवश्यक कार्यवाही कर कार्यों को गति दी।

अपर जिला दण्डाधिकारी प्रसाद ने चीनोर, रिछारी कला, हथनोरा, करई एवं दादोर सहित विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए नक्शों का निरीक्षण व संबंधित अभिलेखों की जांच कर योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानी। साथ ही पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां भी कराईं। इसी प्रकार एडीएम लश्कर नरेंद्र बाबू यादव व एसडीएम घाटीगाँव वंदना जैन सहित अन्य एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर स्वामित्व योजना के कार्य को गति दी। जिला प्रशासन द्वारा योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को उसकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार समय पर मिल जाए।

किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए

कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वामित्व योजना के सभी शेष कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा है कि नक्शों का सत्यापन, अभिलेखों का परीक्षण और पोर्टल प्रविष्टियों का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। पात्र हितग्राहियों को समय पर स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना ग्रामीण नागरिकों को उनकी आवासीय संपत्तियों का वैधानिक अधिकार प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्ति मालिकों को स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आती है। ग्रामीणों को बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत मिलती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी और व्यवस्थित भू अभिलेख व्यवस्था विकसित होती है।

डॉ. भसीन ने बदली पूर्वी की ज़िंदगी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मई। रतन ज्योति नेत्रालय एवं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. पुरेन्द्र भसीन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि आधुनिक नेत्र चिकित्सा केवल दृष्टि सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और जीवनशैली को भी नई दिशा दे सकती है।

यूनाइटेड किंगडम (यूके) में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट पूर्वी जैन लंबे समय से उच्च पावर के चश्मे और सिलेंड्रिकल दृष्टिदोष से परेशान थीं। पेशेवर जीवन में लगातार स्क्रीन पर काम करना, बैठकों में भाग लेना और सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखना उनके लिए चश्मे पर निर्भरता के कारण चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। वर्षों से वह चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन स्थायी समाधान की तलाश जारी थी।

आधुनिक लेसिक तकनीक से हटाए भारी चश्मे

विश्वस्तरीय दृष्टि सुधार के लिए उन्होंने विभिन्न विकल्पों का अध्ययन किया और अंततः यह निर्णय लिया कि वह विशेष रूप से यूके से भारत के ग्वालियर आकर डॉ. पुरेन्द्र भसीन से अपनी लेसिक सर्जरी करवाएंगी। डॉ. भसीन पिछले 25 वर्षों से रिफ्रैक्टिव सर्जरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा 50,000 से अधिक सफल लेसिक एवं दृष्टि सुधार सर्जरियां कर चुके हैं।

रतन ज्योति नेत्रालय में विस्तृत जांच के बाद पाया गया कि पूर्वी जैन की आंखें अत्याधुनिक तकनीक के लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं। इसके पश्चात उनकी सर्जरी अत्यंत सुरक्षित, दर्द रहित और बिना किसी टांके के मात्र कुछ ही मिनटों में सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

सर्जरी के बाद पूर्वी जैन ने कहा कि मैंने यूके में भी कई विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन डॉ. पुरेन्द्र भसीन की विशेषज्ञता, अनुभव और रतन ज्योति नेत्रालय की प्रतिष्ठा ने मुझे ग्वालियर आने के लिए प्रेरित किया। यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक है। अब मैं बिना चश्मे के स्पष्ट रूप से देख सकती हूं और स्वयं को कहीं अधिक आत्मविश्वासी एवं स्वतंत्र महसूस करती हूं। डॉ. पुरेन्द्र भसीन ने कहा कि लेसिक केवल दृष्टि सुधार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को चश्मे की निर्भरता से मुक्त कर उसके आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है।

नागरिक सहकारी बैंक की केन्द्रीयकृत लोन प्रोसेसिंग सेल का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मई। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर के अध्यक्ष अतुल अधौलिया ने जानकारी दी कि बैंक की ऋण स्वीकृति व्यवस्था को केन्द्रीयकृत करते हुए केन्द्रीयकृत लोन प्रोसेसिंग सेल, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर, 73 गोविन्दपुरी वि.वि. मार्ग ग्वालियर में स्थापित की गई।

शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षिका सुमन गुर्जर एवं बैंक के संचालक गण, प्रबंधक संचालक, महाप्रबंधक एवं लोन प्रोसेसिंग सेल के प्रभारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर तुरंत ऋण स्वीकृत कर ऋण ग्रहिताओं को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किये गये। बैंक की वर्तमान में 08 शाखायें हैं सभी शाखाओं के ऋण इस सेल के माध्यम से त्वरित प्रक्रिया से स्वीकृत किये जायेंगे। केन्द्रीयकृत लोन प्रोसेसिंग सेल का मुख्य उद्देश्य लोन की प्रोसेसिंग को आसान एवं तेज बनाना है।

मधु भार्गव पुनः परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ की राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत

ग्वालियर 30 मई. श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ रजि. की द्विवर्षीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चित्रकूट में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा की अनुशंसा पर राष्ट्रीय संयोजक नागेन्द्र दुबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अरुण व्यास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नियुक्ति समिति अध्यक्ष अरुण मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री दीपक शर्मा तथा युवा प्रकोष्ठ प्रभारी गिर्राज पांडे एवं रवि भारद्वाज ने सर्वसम्मति से ग्वालियर की अधिवक्ता मधु भार्गव को पुनः राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया। नियुक्ति के उपरांत एड. मधु भार्गव ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व एवं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

बजरंग भक्त मंडल ने मरीजों के परिजनों को कराया भोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मई। नर सेवा को ही नारायण सेवा मानने वाले अग्रणी सामाजिक संगठन 'बजरंग भक्त मंडल' द्वारा जनहित और जीवसेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडल ने सामूहिक सहभागिता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। मंडल द्वारा अपने परम सहयोगियों, दानदाताओं और सक्रिय सदस्यों के विशेष सहयोग से स्थानीय 1000 बिस्तर अस्पताल परिसर में एक विशाल निःशुल्क भोजन एवं दूध-शरबत वितरण किया गया। बजरंग भक्त मंडल के अध्यक्ष आशीष मंगल ने बताया कि मंडल द्वारा हर महीने नियमित रूप से 'नर सेवा नारायण सेवा' अभियान चलाया जाता है। इस बार अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के पावन और आध्यात्मिक महीने के उपलक्ष्य में अस्पताल में आने वाले असहाय मरीजों, उनके परिजनों और अन्य जरूरतमंदों की मदद का विशेष संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में आए लगभग 400 लोगों को पूरी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ स्वादिष्ट दाल-चावल का भोजन कराया गया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को भीषण गर्मी व उमस से राहत दिलाने के उद्देश्य से करीब 1000 राहगीरों व मरीजों के सहायकों को 200 किलो ठंडे व पौष्टिक दूध-शरबत का वितरण किया गया।

इस पुनीत और परोपकारी कार्य को सफल बनाने में बजरंग भक्त मंडल की पूरी टीम ने अपनी एकजुटता दिखाई और अग्रिम पंक्ति में रहकर श्रमदान किया। सेवा स्थल पर मुख्य रूप से मंडल के अध्यक्ष आशीष मंगल, सचिव राकेश मंगल, उपाध्यक्ष अमन गर्ग, कोषाध्यक्ष रामकिशोर मंगल, हरीश अग्रवाल, भानु राजपूत, दीपक शर्मा, राजीव जादौन, संतोष शिवहरे, संजय श्रीवास्तव, कमल सिंह गर्ग, प्रतीक बंसल, मधुर अग्रवाल, अंकित तिवारी, पवन गोयल एवं जितेंद्र चंदेल, दीपिका अग्रवाल, अशोक गुप्ता सहित अनेक गणमान्य सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

गौशाला में होगा 825 किलो हरे चारे का वितरण

मंडल के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य केवल मानव सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि मूक पशुओं की रक्षा और सेवा करना भी उनकी प्राथमिकता है। इसी निरंतर जारी गौसेवा और साप्ताहिक सेवा के क्रम में, कल मंडल के समस्त सदस्यों द्वारा जनकताल स्थित स्थानीय गौशाला में मौजूद गौवंश के लिए लगभग 825 किलो उत्तम गुणवत्ता वाले हरे चारे की व्यवस्था कर सेवा अर्पित की जावेगी।

FOR SALE
3 BHK FLAT for SALE:
Shree Shyam Regency:
Shankheshwar City:
Jakhya Indore: Near
SAIMS College: 5th
Floor 1325 sqft
9425845234

मुरार में पालतू कुत्ते का आतंक

ग्वालियर-शहर में पालतू श्वानों का आतंक और उनके मालिकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मुरार थाना क्षेत्र के घासमंडी इलाके में एक पालतू कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर कुत्ता मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक, पुरानी कचहरी (घासमंडी) निवासी धीरज मित्तल ने शिकायत दर्ज कराई कि 28 मई की रात करीब 9 बजे उनकी 8 साल की बेटी तृषा घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी सुनील सोनी के पालतू कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया और पैर में दांत गड़ा दिए। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने बमुश्किल उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी कुत्ता मालिक सुनील सोनी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है।

बच्चों के व्यक्तित्व विकास में संस्कार और आचरण रीढ़ के समान : नीरज

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मई। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए अच्छे संस्कार ज़रूरी है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में संस्कार और आचरण रीढ़ के समान होते हैं। सही नैतिक मूल्य, अनुशासन, और बड़ों के प्रति सम्मान ही उनके संपूर्ण चरित्र का निर्माण करते हैं। हमेश दूसरों को समाज के प्रति जिम्मेदार और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। संस्कारवान बच्चा न केवल एक सफल व्यक्ति बनता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक जिम्मेदार नागरिक साबित होता है।माता-पिता को अपने बच्चों के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता को समझना चाहिए।यह बात जैन मिलन युगल नेमिनाथ ग्रेटर ग्वालियर की ओर से दानाओली स्थित दिगंबर पार्श्वनाथ नया जैन मंदिर में चल रहे आठ दिवसीय श्रमण संस्कृति संस्कार शिविर के दौरान आज शनिवार को मोटिवेशन स्पीकर नीरज छाबड़ा ने बच्चों को व्यक्तित्व विकास का महत्व बताते हुए कही।

उन्होंने बच्चों को बताया कि हमेश अपने दैनिक कार्यों को समय पर करने और अनुशासन में रहने की आदत डालें, जो उनके भविष्य की सफलता की नींव है। हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, त्याग का संस्कार ही जीवन की नींव है। बच्चों के व्यक्तित्वन का निर्माण का यह सफर घर की पाठशाला से ही शुरू होता। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। घर में बड़ों का आपसी व्यवहार, शिष्टाचार और शांतिपूर्ण बातचीत बच्चों में वही गुण स्थापित करते हैं। बच्चों को सिखाएं कि गलतियों से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना चाहिए।

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि इस दौरान शिविर के अतिथि के रूप में जैन मिलन के चेयरमैन नीरज छाबड़ा, क्षेत्रीय संयोजक संजीव जैन का सम्मान संस्थापक अध्यक्ष शिविर निदेशक रवि जैन (क्षेत्रीय उपाध्यक्ष), क्षेत्रीय युवा संयोजक पारस जैन, शिविर संयोजक ऋषभ जैन, संस्था अध्यक्ष कुणाल जैन, सचिव अमित जैन, कोषाध्यक्ष अंकुश जैन आदि ने किया। वही शिविर के शिवार्थियो को प्रश्न उतर सही बताने पर अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मान किया।

शिविर में इंदौर से आए विद्वान सम्यक जैन शास्त्री ने बच्चों को समझते हुए कहा कि जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। गर्मी के दिनों में हम सभी का कर्तव्य बनाता है कि मूक पक्षियों के लिए छतों पर पानी और खाने के लिए दाना रखें। वही रोड पर झूमने वाले कुत्ते, गायो के लिए घर के दरवाजे पर पानी की व्यवस्था करें। बच्चों की लिखित परीक्षा 1 जून को होगी

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.05.2026 के दैनिक समाचार पत्र में क्षेत्र क्रं 02 वार्ड 09 की विज्ञप्ति में जिसमें आवेदक का नाम श्रीमती भारतीय राठौर भूलवस लिख गया है। अतः जिसे भारती पडा जावे बाकी सब यथावत है।

आवेदक-श्रीमती भारती राठौर/अरूण राठौर,पता- रानीपुरा ग्वा0, मो0-8640042046

CHANGE OF NAME

I, ANURAG SINGH son of No. 3001391L Rank-Hav Name-SATYBHAN SINGH, Currently Residing at 28, Adrash Puram Purani Railway Line, Gwalior (M.P.) Pin- 474005 have changed my name from ANURAG SINGH to ANURAG SINGH TOMAR vide affidavit No. BX 281568 Dated 29.05.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं RASANA BEGUM Mother of No. 15787355X Rank- HAV Name- M B ISLAM Unit of 109 Lt AD Regt (SP) residence at Vill.- Bholabari Post- Bholabari, Tehsil- Kalaigaon, Distt.- Udalabari, State -Assam Pin-784525 सूचित करती हूं कि- मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम RASNA BEGUAM एवं जन्मतिथि 01.07.1955 त्रुटिवश अंकित है। अतः मेरा सही नाम RASNA BEGUM एवं जन्मतिथि 04.05.1953 को मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। सत्यापित एफीडेविट नं. BX 603648 & date 27.05.2026 before district court Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME

I, RAMESH CHAND (Unit-13 JAK RIF) Army Number JC- 583941M Rank: Sub Son of Late Shri LAL CHAND presently residing at Village- Gulehar, Post- Budhwar, Tehsil-Bangana Distt.- Una, State- Himachal Pradesh, Pin - 174321 (Address) inform that I have changed my wife Name from SARITA DEVI to SARITA RANI vide Affidavit No. CB 955634 Dated- 29.05.2026 GWALIOR

CHANGE OF NAME & DOB

I, RAJ SINGH (UNIT-13 JAK RIF) ARMY NUMBER - 13771484F RANK- HAV Son of Shri KHERU RAM presently residing at Village - Mawa Camp, P.O.- Mawa, Teh.- Rajpura, Dist. - Samba, State- J & K, Pincode - 184121 (Address) inform that I have changed my Mother's Name and Date of birth from SARDA DEVI (DOB 10.08.1957) to KRISHANA DEVI (DOB 01.04.1955) vide Affidavit No. CB 955637 Dated- 29.05.2026 GWALIOR

नामांतरण विज्ञप्ति / आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम मुरार के क्षेत्र अंतर्गत मेरी सम्पत्ती वार्ड क्रमांक 25 भवन क्रमांक 689 स्थान हरिओम कॉलोनी 25 मुरार ग्वालियर जोन वार्ड 08/25 में स्थित है। जो स्व. श्रीमती मिश्रलेश कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र पाण्डे निवासी हरिओम कॉलोनी मुरार के स्वामित्व व आधिपत्य का है। जिसका आई क्रमांक 1000285293 जिसका भवन ऐरिया 2490 है। उक्त सम्पत्ति को जये विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1973 'को क्रय किया गया है। जिसका भूमि सर्वे नं. 1167 है. ग्राम मुरार तहसील मुरार जिला ग्वालियर में स्थित है श्रीमती। मिथलेश की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान अरविंद पाण्डे, अशीष पाण्डे, अनुराग पाण्डे, श्रीमती अर्चना, श्रीमती गायत्री पाण्डे, आयुष्मान, आस्था पाण्डे, इस उक्त सम्पत्ति कानामांतरण म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 एवं आवेदन पत्र क्रमांक 66/2010 /71771/71849 पर दर्ज होकर जनमित्र केन्द्र मुरार में दिनांक 22.01.2025 होकर विचाराधीन है। उक्त के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त महोदय नगर निगम ग्वालियर सिटी सेन्टर स्थित ग्वालियर सम्पतिकर विभाग कक्ष क्रमांक 202-205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें नियत अवधि में कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

आवेदक **अरविन्द पाण्डे**
हरिओम कॉलोनी मुरार ग्वालियर
द्वारा अभिभाषक
के. के. चतुर्वेदी एडवोकेट
मो. 9827599580

आम सूचना

श्रीमती नीलम पत्नी श्री राकेश कुमार के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र .62, स्थित जागेश्वरी धाम फेस-3, ग्राम सँथरी, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र .62 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र .448/3, 451/2मिन-1, 457/1, 452मिन-1, 453/मिन-1, 454, 455/1, 455/2, 459/3, 456, 457/2, 458, 459/1, 460 ग्राम सँथरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूखण्ड क्र. 103, पश्चिम में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में-भूखण्ड क्र. 61 एवं दक्षिण में-भूखण्ड क्र .63 है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री ब्रम्हदेव पुत्र श्री कुंजविहारीलाल एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री ब्रम्हदेव का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री ब्रम्हदेव शर्मा उनकी सम्पति के मालिक हुये। श्री अनिल शर्मा द्वारा सम्पति रकवा 0.3650 हैक्टेयर एरिया श्री संजय शिवहरे पुत्र श्री भगवानदास शिवहरे को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592021ए1739290 दिनांक 01.09.2021 से विक्रय की गई। श्री संजय शिवहरे द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती नीलम पत्नी श्री राकेश कुमार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी142592022 ए1075679 दिनांक 24.01.2022 से विक्रय की गई। श्रीमती नीलम द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान डी. एम.आई. हाउसिंग फायनेंस प्रा.लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राजपति बघेल पत्नी श्री मोहन सिंह के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र. 58, वार्ड क्र. 27, दुर्गेश कॉलोनी, ग्राम बुजुर्ग एवं तहसील डबरा व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र. 305 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- मकान राजकुमार शर्मा, पश्चिम में- मकान रावत, उत्तर में-रास्ता 15 फुट चौड़ा, दक्षिण में- रास्ता 10 फुट चौड़ा व कुल क्षेत्रफल 495 वर्गफुट हैं। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमती कलावती पुत्री श्री नंदराम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी। तत्पश्चात, श्रीमती कलावती पुत्री श्री नंदराम जर्ये मुख्त्यारआम श्रीमान नंदराम कुशवाह पुत्र श्री पन्ना लाल कुशवाह द्वारा श्रीमान महेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री काशीराम श्रीवास्तव को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 3574 व दिनांक 17.01.2001 से विक्रय की गई। तदुपरांत श्रीमान महेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री काशीराम श्रीवास्तव द्वारा श्रीमती त्रिवेणी शर्मा पत्नी स्व. श्री रामजीलाल शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 1200 ग्रंथ क्र. 4048 व दिनांक 10.07.2005 से विक्रय की गई। जिसमें श्रीमती त्रिवेणी शर्मा के फोत उपरांत उनके वारिस के रूप में अर्थातः रामकुमार शर्मा, महेश शर्मा, सुरेश शर्मा (पुत्रगण) के नाम राजस्व विभाग में दर्ज किये गये। तत्पश्चात, केवल श्रीमान रामकुमार शर्मा एवं महेश शर्मा पुत्रगण स्व. श्री रामजीलाल शर्मा द्वारा श्रीमती रानी शिवहरे पत्नी श्री दिलीप कुमार शिवहरे को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142582022A 1138394 व दिनांक 09.02.2022 से विक्रय की गई। तदुपरांत श्रीमती रानी शिवहरे पत्नी श्री दिलीप कुमार शिवहरे द्वारा श्रीमती राजपति बघेल पत्नी श्री मोहन सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142582022A 11302947 व दिनांक 28.12.2022 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।
इति दिनांकः- 30.05.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर(म.प्र.) मो.9826820987

आम सूचना

श्रीमती रजनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित नदी पार टाल, ग्राम मुरार, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र .20 (नया) एवं वार्ड क्र. 23 (पुराना) में स्थित है जिसका सम्पति क्र .1000241105 है जो भूमि सर्वे क्र .3297 एवं 3298/मिन-1 ग्राम मुरार का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूखण्ड क्र. 103, पश्चिम में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में-भूखण्ड क्र. 61 एवं दक्षिण में-भूखण्ड क्र .63 है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री भगवानदास पुत्र श्री ग्यासीराम एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री भगवानदास द्वारा उक्त सम्पति श्री वीरेन्द्र बाथम पुत्र श्री रमेशचन्द्र बाथम को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592018 ए1024972 दिनांक 11.01.2018 से विक्रय की गई। श्री वीरेन्द्र सिंह बाथम द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती रजनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी21आईजीआर 17412026ए100442855 दिनांक 10.04.2026 से विक्रय की गई। श्रीमती रजनी द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान इन्डसइन्ड बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ई-नीलामी द्वारा वाहन नीलामी की सूचना

क्षेत्रीय तनावग्रस्त अस्ति वसूली शाखा (आर.ओ.एस.ए.आर.बी.) ग्वालियर, प्रथमतल, बीएसएनएल बिल्डिंग, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. - 474011, मो. नं. 78801-53116, 89378-86644
E-mail: sarsag@bankofbaroda.co.in | Web : bankofbaroda.com

वाहनों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन जो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के नीचे दी गई शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है'' एवं '' दायित्व रहित के आधार पर'' के आधार पर निम्नलिखित वर्णित ऋणीयों से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

उधारकर्ता व जमानतदार का नाम	बकाया राशि	वाहन का विवरण/ रजिस्ट्रेशन नं.	आरक्षित मूल्य रु. / ईएमडी 10% / बिड वृद्धि राशि
ऋणी : श्री शांति प्रकाश पुत्र श्री मातादीन गुर्जर पताः कांच मिल, बड़ा गेट, बिरला नगर, गिर्द, एमपी-474004 जमानतदार : श्री उमेश चौहान पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान पताः मकान नंबर 174, न्यू कॉलोनी नंबर 1, बिरलानगर, गिर्द, एम.पी.-474004	रु. 30,31,485/- + ब्याज एवं शुल्क	Ashok Leyland LTD /GG3520/57 H CO RN-RJ11GC5758	Rs. 30,00,000/- / 3,00,000/- / 5000/-
ऋणी : श्री शुभम दुबे पुत्र श्री छविराम दुबे पताः सैनिक कॉलोनी, सिकंदर कंपू, गिर्द, ग्वालियर,